समूह का नियमावली

(राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन द्वारा अनुमोदित)

(1) समूह का नाम...होगा और आगे इसे यहॉं 'स्वयं सहायता समूह' के रूप में संबोधित किया गया है।

(2) स्वयं सहायता समूह का नाम ....शहर में स्थित है तथा इस समूह का पता निम्नलिखित हैः ....
....पिन कोड..................................

(3) उद्देश्य :– स्वयं सहायता समूह का उद्देश्य हैः
अ. सदस्यों के मध्य नियमित बचत को बढ़ावा देना
ब. समूह के सदस्यों की घरेलू आवश्यकताओं के लिए ऋण उपलब्ध कराना
स. एक ऐसे समूह का गठन करना जो कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन तथा भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं का लाभ उठाने योग्य हो और ऐसी मॉंगों की अभिव्यक्ति करने में सक्षम हो।

(4) सदस्यता :–
अ– व्यक्ति जिसकी आयु के समय 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो।
ब– व्यक्ति जो अपनी बचत राशि को समूह के साथ जोडने हेतु इच्छुक हों।
स– व्यक्ति जो समूह से ऋण लेने में इच्छुक हों।
द– व्यक्ति जो कि स्लम/क्षेत्र का नाम के वर्ष......... ....का निवासी हो।
य– या परिवार के ऐसे सदस्य जिन्हें राज्य सरकार द्वारा गरीब अथवा बीपीएल के रूप में चिन्हित किया गया हो।
र– प्रति परिवार एक से ज्यादा व्यक्ति समूह के सदस्य नहीं होंगे।
ल– सदस्यों के कुल संख्या किसी भी समय न तो 20 से ज्यादा होगी न ही 10 से कम।

(5) बचतः–
अ. प्रत्येक सदस्य प्रतिमाह रु0..(अंकों तथा शब्दों में) की बचत करेगा और सभी सदस्य प्रतिमाह की दिनांक.. को अपनी बचत समूह के कोषाध्यक्ष के पास जमा करेंगे।
ब. स्वयं सहायता समूह समय–समय पर बचत राशि का निर्धारण करेंगे। इस राशि में किसी भी परिवर्तन का उल्लेख कारण सहित स्वयं सहायता समूह की सभाओं के दस्तावेजों में किया जायेगा।
स. यदि कोई सदस्य निश्चित तिथि पर अपनी बचत राशि जमा नहीं करेगा तो उस पर रुपये.. ....प्रतिमाह/सप्ताह/दिन के हिसाब से अर्थदण्ड लगाया जायेगा।

(6) समूह प्रबंध :–
अ. एक प्रबंधन समिति होगी जो स्वयं सहायता समूह के दैनिक कार्यों तथा रणनीतिक प्रबंधन हेतु उत्तरदायी होगी।
ब. प्रबंधन समिति में समूह के सदस्यों द्वारा समूह से ही चुने हुए तीन कार्यालय पदधारी होगें – अध्यक्ष, सचिव तथा कोषाध्यक्ष, जिनका कार्यकाल 1 वर्ष का होगा।
स. ये कार्यालय पदधारी लगातार दो वर्षों से ज्यादा पद पर नहीं रह सकेंगे।
द. यदि समूह द्वारा किसी परिवार के एक से ज्यादा व्यक्तियों को समूह के सदस्य के रूप में चुना जाता है तो ऐसे किसी भी परिवार के दो सदस्य एक ही समय पर स्वयं सहायता समूह के पदधारी पद हेतु चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।

(क) अध्यक्ष के दायित्व :–
☐ स्वयं सहायता समूह की नियमित बैठक तथा किसी भी प्रकार की अन्य बैठक की अध्यक्षता करना।
☐ स्वयं सहायता समूह की विभिन्न बैठक में लिए गये निर्णयों एवं प्रस्तावों को हस्ताक्षरित कर (या ॲगूठे के निशान द्वारा) अनुमोदित करना।
☐ किसी विशेष बैठक का आह्वान या स्थगन।

☐ यदि आवश्यक हो तो अन्य कार्यालय पदधारियों एवं सदस्यों के सहयोग से किसी समस्या का समाधान करना।
☐ समूह के अन्दरूनी व बाहरी संबंधों को बनाये रखना, विशेष रूप से बैंको तथा स्थानीय नगर निकायों के साथ ताकि समूह के सदस्यों हेतु ऋण की सुनिश्चिता बनी रहे और साथ ही साथ उन्हें एन.यू.एल.एम के विभिन्न घटकों के तहत लाभ प्राप्त हो सकें।
☐ स्वयं सहायता समूह की प्रगति रिपोर्ट नियमित तौर पर स्थानीय नगर निकायों को मॉगे गये अन्य विवरणों के साथ देते रहना।

(ख) सचिव के कर्तव्यः–
☐ अध्यक्ष की पूर्वानुमति से बैठकों का आह्वान करना तथा प्रत्येक सभा का एजेंडा तैयार करना।
☐ सभी नियमित एंव विशेष बैठकों की कार्यवाही के अभिलेख तैयार करना और उन्हें अगली सभा में उन्हें पढ़ना।
☐ प्रत्येक सभा के प्रस्तावों का लिखित विवरण तैयार करना और उसी सभा में उन्हें पढ़कर सुनाना।
☐ सचिव द्वारा सदस्यता–रजिस्टर, उपस्थिति–रजिस्टर तथा गतिविधियों एवं प्रस्ताव रजिस्टर की देखभाल की जायेगी।
☐ यदि अध्यक्ष अनुपस्थिति हो तो समस्त बैठकों का संचालन एवं अध्यक्षता करेगा।
☐ स्वयं सहायता समूह के लेखा–बहियों की नियमित जांच करेगा तथा प्रत्येक बैठक में सदस्यों को इससे अवगत करायेगा।

☐ समूह के आन्तरिक एवं वाह्य संबंधों को बनाये रखेगा विशेषकर बैंकों तथा स्थानीय नगर निकायों से ताकि समूह एवं उसके सदस्यों को ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके और साथ–साथ उन्हें एन.यू.एल.एम के तहत प्राप्त होने वाले लाभ सुलभ हो सकें।
☐ स्वयं सहायता समूह की प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से स्थानीय नगर निकायों को उनके द्वारा मॉगे गये अन्य विवरणों सहित प्रस्तुत करना।

(ग) कोषाध्यक्ष के उत्तरदायित्वः–
☐ समूह से संबंधित समस्त आवश्यक एव वित्तीय दस्तावेजों की सुरक्षित रखना।
☐ स्वयं सहायता समूह के समस्त लेखा–बाहियों की देखरेख यथा सदस्यों का बचत एवं ऋण रजिस्टर, पास–बुक, समूह की बैंक पास–बुक तथा ऋण विवरण, नगद लेनदेन आदि।
☐ बैठकों में एकत्रित समस्त नगद धनराशि को दो दिनों के भीतर बैंक में जमा कराना।
☐ स्वयं सहायता समूह द्वारा अनुमोदित ऋण को सदस्यों में बांटना, बचतों, अदायगियों, ब्याज दण्ड–शुल्क आदि को प्राप्त करना/वसूलना।
☐ समूह की समस्त वित्तीय रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

(7) बैठक :–
अ. समूह प्रत्येक माह.......... (संख्या) बैठक करेगा। बैठक प्रत्येक माह की .... तिथियों को आयोजित होंगी।
ब. किसी आवश्यक और वित्तीय मामले हेतु समूह अल्प–कालिक सूचना पर विशेष बैठक का आयोजन कर सकेंगे।
स. बैठक के निर्णयों की वैद्यता हेतु सभा में 80 प्रतिषत सदस्यों सहित कम से कम दो कार्यालय पदधारी अवश्य उपस्थिति होने चाहिए। जहां निर्णय समूह कोश के रु .... (अंको एवं शब्दों में) से अधिक राशि के संबंध में हो या नियम और कानून में परिवर्तन से सम्बंधित हो वहॉ समस्त सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
द. स्वयं सहायता समूह की सामान्य सभा प्रतिवर्ष .... माह में दिनांक .... को आयोजित की जायेगी। इस सभा में पिछले साल की गतिविधियों तथा वित्तीय प्रगति का पुनरावलोकन किया जायेगा और अगले साल के क्रियाकलापों की योजना तैयार की जायेगी। (समूह इस सभा का उपयोग प्रबंधन समिति के पदाधिकारियों के नियमित चुनाव हेतु भी कर सकते हैं।)
य. विशेष बैठक हेतु अथवा नियमित सभाओं के संचालन में किसी प्रकार के परिवर्तन के सम्बन्ध में सचिव द्वारा समूह के सदस्यों को ऐसी किसी भी सभा के पूर्व ....दिन की नोटिस देनी होगी।
र. यदि कोई सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के .....(संख्या) सभाओं में लगातार अनुपस्थिति रहता है तो वह रु......................................./ बैठक (अंको एवं शब्दों में) के दण्ड का भागी होगा।

(8) समूह के दस्तावेजों/रिकार्ड का अनुरक्षणः–
अ. प्रत्येक सदस्य को एक बचत एवं ऋण पास बुक दी जायेगी जिसमें हर एक सदस्य के बचत एवं ऋण संबंधी विवरण नियमित रूप से अद्यतन किये जायेंगे। विवरणों को भरे जाने का दायित्व कोषाध्यक्ष पर होगा।
ब. सदस्यता, उपस्थिति और क्रियाकलापों तथा प्रस्ताव रजिस्टर सचिव द्वारा रखे जायेंगे ताकि वो सदस्यता पंजीकरण कर सके और समस्त सभाओं की कार्यवाहियों, उपस्थिति एवं प्रस्तावों के अभिलेख तैयार कर सके।
द. समूह स्तर पर बचत एवं ऋृण रजिस्टर कोषाध्यक्ष के पास रखे जायेंगे ताकि बचत एवं ऋण संबंधी समस्त व्यैक्तिक रिकार्ड रखे जा सकें।
य. कैशबुक तथा बैंक–ऋण रजिस्टर की देखरेख कोषाध्यक्ष द्वारा की जायेगी जो समस्त आय–व्यय के साथ साथ बैंक ऋण की प्राप्तियों एवं अदायगियों को अद्यतन करेगा।
र. समूह की बैंक पासबुक की देख–रेख कोषाध्यक्ष द्वारा की जायेगी और प्रत्येक जमा एवं निकासी को नियमित रूप से अद्यतन किया जाता रहेगा।
ल. समूह के समस्त दस्तावेज सभी सदस्यों के अवलोकन हेतु सभाओं के दौरान उपलब्ध रहेंगे, अन्य समयों में प्रबंधक समिति के पदाधिकारियों को समुचित सूचना देकर इनका अवलोकन किया जा सकेगा। स्वयं सहायता समूह किसी गैर सदस्य व्यक्ति को लेखा–कर्म हेतु एक निर्धारित सांकेतिक भुगतान पर सकेंगे। तथापि सदस्यों द्वारा ऐसी सेवाएं अपने समूह को स्वैच्छिक रूप से प्रदान की जा सकती हैं।

(9) समूह कोष का प्रबंधन :–
अ. प्रत्येक सदस्य हेतु ऋण सीमा का निर्धारण स्वयं सहायता समूह द्वारा किया जायेगा। ये राशि रु0...(शब्दों व अंकों में) से ज्यादा नहीं होगी।
ब. ब्याज दर प्रतिमाह ....प्रतिशत होगी।
स. ऋण अदायगी प्रक्रिया का निर्धारण समूह के समस्त सदस्यों द्वारा मिलकर किया जायेगा।
द. ऋण स्वीकृति के पश्चात, ऋण/लोन विवरण सर्वसहमत ऋण अदायगी सारणी का विवरण आवेदक की बचत एवं ऋण पासबुक और समूह के बचत एवं ऋण रजिस्टर में अवश्य लिखी जायेगी। इसके पश्चात अदायगी संबन्धित समस्त विवरण भी (और व्यतिक्रम यदि कोई है,तो) आवेदक की बचत एवं ऋण पासबुक में तथा समूह के बचत एवं ऋण रजिस्टर में दर्ज किये जायेंगे।

य. ऋण तभी प्रदान किया जायेगा जबकि :
☐ सदस्य ने पूर्व ऋण का ब्याज सहित भुगतान कर दिया हो।
☐ सदस्य ने नियमित रूप से कम से कम तीन माह तक अपनी बचत को समूह के पास जमा किया हो।

र. बचत एवं ऋण के ब्याज से तथा दण्ड–शुल्क से प्राप्त समस्त आय स्वयं सहायता समूह के कोष में जोड़ी जायेगी।

(10) समूह के बैंक खातों का प्रबंधनः—
अ. समूह का बैंक खाता निकटतम शाखा में खोला जायेगा। कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष, सचिव (कोई भी दो) मिलकर खाते का संचालन करेंगे। समस्त निकासियों को स्वयं सहायता समूह के प्रस्ताव द्वारा अनुमोदित/समर्थित होना होगा।

(11) सदस्यता का प्रत्याहारः— सदस्यों को विस्तृत विचार विमर्श के बाद ये तय करना चाहिए कि यदि कोई सदस्य समूह छोड़ना चाहता है तो धन वापसी की प्रक्रिया व शर्तें क्या हों? इसका समूह के उपविधान में अवश्य उल्लेख किया जाना चाहिए।

(12) सदस्यता हेतु अयोग्यताः— स्वयं सहायता समूह द्वारा कोई भी सदस्य निम्नलिखित आधारों पर अयोग्य घोषित किया जायेगा—

अ. समूह की नियमित बैठकों में..से ज्यादा बार अनुपस्थिति/असक्रियता।
ब. ....(संख्या) माह से ज्यादा नियमित बचत जमा न करना।
स. समूह से प्राप्त ऋण का नियमित भुगतान न करना ।
द. समूह के नियमों का पालन न करना।

(13) नियम और कानून में परिवर्तनः— समूह के नियमों अथवा उसके किसी भी भाग में परिवर्तन, इस उद्देश्य से बुलाई गई सामान्य सभा में उपस्थिति समस्त सदस्यों की अनुमति से किया जायेगा।

(14) समूह का विघटनः— समूह के विघटन के पूर्व समूह के समस्त सदस्य मिलकर, समूह—कोष के सदस्यों के मध्य वितरण, अदायगियों आदि के सम्बंध में विचार विमर्श कर संबंधित औपचारिकताओं एवं शर्तो को तय करेंगे। तत्पश्चात समूह के विघटन एवं कोष के पुनर्वितरण से संबंधित समस्त प्रतिबंधो/षर्तों को समूह के उपविधान में उल्लिखित किया जाना चाहिए । सदस्यों के बहुमत से समूह का विघटन किया जा सकेगा।